

अरुणाचल में हिन्दी

डॉ. श्याम शंकर सिंह

अरुणाचल प्रदेश में हिन्दी के बारे में बताने से पहले पृष्ठभूमि के रूप में एक-दो बातें उल्लेखनीय हैं। इस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार १८७३ ई. में 'ट्रैफिक रेगुलेशन एक्ट' के तहत 'इनरलाइन रेगुलेशन' लायी। १८७५ ई. से यह प्रभावित हुआ। इसके अनुसार इस प्रदेश में प्रवेश करने के लिए इनरलाइन परमिट प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। १९१४ ई. तक इस प्रदेश को 'असम फ्रण्टियर ट्रैक्ट' के रूप में जाना जाता था। इसके बाद १९५४ ई. तक इसे 'नार्थ-ईस्ट फ्रण्टियर ट्रैक्ट' के रूप में जाना गया। १९५४ ई. से (२० जनवरी १९७२ ई. में 'अरुणाचल प्रदेश' नामकरण होने से पूर्व तक) यह प्रदेश 'नार्थ-ईस्ट फ्रण्टियर एजेन्सी' या इसके संक्षिप्त रूप 'नेफा' के नाम से जाना गया। १९१४ ई. से इस क्षेत्र का प्रशासन असम के गवर्नर की देखरेख में रहा। १९४३ ई. में इसके लिए असम के गवर्नर का 'एडवाइजर' पद बनाया गया। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् १९४८ ई. में इसके प्रशासन को केन्द्र ने अपनी निगरानी में लिया। १९६५ ई. में इसका जिम्मा एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय से गृह मंत्रालय पर आ गया। इसके दो वर्ष पश्चात् यहाँ के लिए पंचायती राज, मंत्रियों और विधायकों के प्रावधान रखे गये। इस बीच, १९५७ ई. में इसके त्वेनसांग डिवीजन को नागालैंड के साथ मिला दिया गया। १९७४ ई. तक यहाँ की राजधानी शिलांग रही।

अरुणाचल प्रदेश में जो प्रयत्न हुए उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जो तथ्य छिटपुट रूप से ज्ञात हैं, उसके अनुसार १९५४ ई. में माधुरिटा में उन हिन्दी शिक्षकों के लिए व्यवस्था की गई जो प्रशिक्षित होकर जनजातीय छात्रों को राष्ट्रभाषा का ज्ञान दे सकें। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने पासीघाट और त्वेनसांग में प्रशिक्षण केन्द्र खोले। माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की पढ़ाई होने लगी। श्री चित्र महंत ने लिखा है कि असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति "लगभग १९५२ से अरुणाचल के विभिन्न अंचलों में हिन्दी-प्रचार का काम अपने पंजीकृत प्रचारकों द्वारा करवाती आ रही थी। पासीघाट, आलोंग आदि स्थानों में समिति के केन्द्रों से अनेक जनजातीय विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।" (वही, पृ. १०४)

१९५५ ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पासीघाट आए थे। उन्होंने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के आवास पर रखे विजिटर रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर हिन्दी में किया था। (डॉ. रमण शाण्डिल्य, राष्ट्रभाषा सन्देश : ३० सितम्बर २००६, पृ. ३) वस्तुतः यह संकेतपूर्ण है। उससे दो वर्ष पूर्व यहाँ पाँच हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार ने की थी। यह क्रम निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसर रहा।

१९७२ ई. से पूर्व इस प्रदेश में केन्द्र सरकार की यह नीति थी कि असम सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा में असमिया माध्यम ज्यों-की-त्यों चलती रहे और चीन-तिब्बत सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। केवल तिरप क्षेत्र में सभी स्कूल असमिया

माध्यम के थे । कुछ क्षेत्रों में छात्र हिन्दी का अध्ययन राष्ट्रभाषा के रूप में करते थे ।

जब इस प्रदेश को केन्द्रशासित राज्य का दर्जा मिला तब यहाँ पहली भाषा, या निर्देश के माध्यम की भाषा के रूप में 'मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन' एवं शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को लाया गया । यह एक ऐसा कदम था जिसने आनेवाले समय पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला । इसलिए उस दौर पर सरसरी निगाह दौड़ाना जरूरी है । जब हिन्दी को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया जाना था तब देश के सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में, विशेषकर तमिलनाडु में, कुछ विरोधी स्वर सुनायी पड़े । धीरे-धीरे इसकी गंजे कुद समय के लिए असम में भी सुनायी पड़ी और इसी क्रम में इस क्षेत्र में नियुक्त एकाध पदाधिकारियों में भी । उस समय की प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में इसका उल्लेख मिलता है, उदाहरणार्थ १९७० ई. में प्रकाशित 'कल्पना' का जनवरी वाला अंक । पांचजन्य के १९७२ ई. में प्रकाशित अक्टूबर वाले अंक को पढ़ने से पता चलता है कि असमिया - हिन्दी के विवाद क्रम में क्रमशः वह स्वर मुखरित हो रहा था जो दोनों भाषा माध्यमों के स्कूलों की जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चाहता था । अलोंग, पासीघाट, दापोरिजो और जीरो से ऐसे स्वर सुनायी पड़े । यह स्वर उन स्वरों से मिलता-जुलता था जिसने नागालैंड में अंग्रेजी राजभाषा की पदवी देकर देश में सदैव के लिए सह-राजभाषा Associate official Language के रूप में अंग्रेजी के बने रहने की संभावना को पुष्ट कर दिया और एकमात्र राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रतिष्ठित होने की आशा को धूमिल । उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम यथा संशोधित १९६७ के अनुसार सह-राजभाषा अंग्रेजी को तब तक के लिए स्वीकार किया गया है जब तक संसद के साथ ही राज्यों के विधान मंडल भी अंग्रेजी छोड़ने का संकल्प न पारित कर लें ।

यहीं पर उन जनजातीय समुदायों का उल्लेख अनिवार्य है जिन्होंने हिन्दी माध्यम के स्कूलों का समर्थन किया रामो, पाईलिबो, मेबा आदि । उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार यहाँ की मातृभाषाओं में पढ़ाई की अनिवार्यता को स्वीकार करती थी और हिन्दी माध्यम को उसी समय तक आवश्यक समझती थी जब तक बच्चों की मातृभाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार नहीं हो जाती । सरकार प्रथम कक्षा से ही हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में आवश्यक समझती थी । वर्तमान समय में छठी-सातवीं में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत और असमिया का विकल्प है । मिडिल स्टेज में, लगभग दस वर्षों से, नामसाई क्षेत्र में खामती और वांग, बोमडिला, कामेंग, मेचुका क्षेत्रों में भूटी भाषा की पढ़ाई हो रही है । लगभग छह-सात वर्षों से आदी जनजाति बहुल क्षेत्रों में मिनियोंग और गालो भाषाएँ पढ़ाई जा रही हैं और ल गभग चार-पाँच वर्षों से जीरो क्षेत्र में आपातानी भाषा । निशी जनजाति बहुल क्षेत्रों में निशी भाषा पढ़ाये जाने के लिए लोगों का आग्रह जोर पकड़ रहा है ।

शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को यहाँ पर बहुत पहले ही अपना लिया गया था । वर्तमान समय में पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है । यहाँ पर लगभग १,१३५ प्राइमरी, ३४७ मिडिल १२० सेकेण्डरी औ ७१ हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं । हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वैकल्पिक हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था है । निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी द्वितीय भाषा के रूप में या एक विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है । नवोदय में कक्षा छह से आठ तक हिन्दी अनिवार्य है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर दसवीं तक प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी की पढ़ाई होती है और ग्यारहवीं-बारहवीं में एक विषय के रूप में

वैकल्पिक या विकल्प के साथ हिन्दी की पढ़ाई की सुविधा है। वैकल्पिक हिन्दी के रूप में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द, केन्द्रीय विद्यालय और डोन्यी पोलो विद्या भवन से सम्बद्ध स्कूलों में भी है। पाँचवी कक्षा तक के लिए एन. सी. ई. आर. टी. ने यहाँ के लिए विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। हायर सेकेण्डरी और सेकेण्डरी की परीक्षाएँ सी.बी.एस.ई. कोर्स बी के तहत आयोजित होती हैं। विद्यालयों की पत्रिकाओं में हिन्दी अनुभाग भी होता है। विभिन्न अवसरों पर एकांकी या लघु नाटक भी खेले जाते हैं। सन् २००१ ई. में लगभग अठारह प्रतिशत छात्रों (१,९०९) ने हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। जबकि हिन्दी कोर केंद्रीक की परीक्षा में २८१ छात्र बैठे थे। हिन्दी कोर के छात्रों की कम संख्या होने का कारण यह है कि सभी हायर सेकेण्डरी स्कूलों में इसकी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहना न होगा कि इससे बहुत से छात्र हिन्दी कोर पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। सन २०००-२००१ ई. में दो सौ भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें अधिकांश स्थानीय हैं। इसके बाद भी नियुक्तियाँ हुई हैं। निश्चय ही, इससे हिन्दी की स्थिति सुदृढ़ हुई है। स्कूल से अधिक महाविद्यालयों में हिन्दी के शिक्षकों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण छात्रों की अपेक्षित संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है।

यहाँ के सभी सरकारी महाविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई होती है। यदि पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों तो सभी महाविद्यालयों में ऑनर्स विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाई जा सकती है। छात्रों की रुचि को देखते हुए यह आशा बँधती है कि आने वाले समय में यह संभव होगा। फिलहाल सात में से तीन महाविद्यालयों में पास कोर्स के रूप में हिन्दी को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। एक महाविद्यालयों में आनर्स एवं पास कोर्स के रूप में हिन्दी पढ़ने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के एक बी. एड कॉलेज में हिन्दी शिक्षण की सुविधा है। कॉलेज हिन्दी माध्यम से बी. एड के शिक्षण की सुविधा के लिए भी प्रयत्नरत है। सरकारी महाविद्यालयों से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में हिन्दी अनुभाग भी रहता है। महाविद्यालयों, अन्तर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में होने वाले वार्षिक-द्विवार्षिक उत्सवों में हिन्दी नाटक भी खेले जाते हैं। इन्हें देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है।

प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय में सन १९९९ ई. में हिन्दी विभाग स्थापित हुआ। विभाग की प्रगति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए विभाग को सीटें बढ़ाकर चालीस करनी पड़ी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बावजूद कुछ छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। अब तक सात शोध-छात्र शोधरत हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों में अधिकांश छात्र स्थानीय हैं। अनेक स्थानीय छात्र लेक्चरशिपपात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। उनमें से कई प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो चुके हैं और बड़ी कुशलतापूर्वक हिन्दी का अध्यापन कर रहे हैं। विभाग सन् २००१ ई. से शोध और आलोचना से सम्बन्धित एक पत्रिका का प्रकाशन भी कर रहा है। इस पत्रिका के अंकों में कई लेख अनूदित रूप में और मौलिक रूप में — स्थानीय लेखकों के हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण का दायित्व भी विभाग पर ही है। विश्वविद्यालय में हिन्दी दिवस समारोह भी आयोजित किया जाता है।

कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। स्कूल स्तर पर तो निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इससे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में हिन्दी को प्रसरित होने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त और पंजीकृत शोधार्थियों में भी महिलाएँ ही संख्या की दृष्टि से आगे हैं। लेकिन धीरे-धीरे पुरुष छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

रचनात्मक उपलब्धि की दृष्टि से 'अरुणाचल प्रदेश के पहले हिन्दी लेखक' के रूप में विश्रुत श्री जुमसी सिराम द्वारा लिखित लघु उपन्यास 'तिंगी-आलुक' उल्लेखनीय है। यह उपन्यास धारावाहिक रूप में पटना से प्रकाशित और श्री विजय अमरेश द्वारा संपादित 'कोश' पत्रिका के सन १९८६ ई. के जुलाई-अगस्त वाले अंक में छपा था। श्री जुमसी सिराम की अन्य कृतियाँ भी हैं। छिटपुट रूप में लिखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। यहाँ से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। सन २००३ ई. में चार नवम्बर से ११ नवम्बर तक विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आयोजित 'हिन्दी नवलेखक शिविर' में अनेक रचनात्मक प्रतिभाएँ उभरी थीं।

इस प्रदेश से हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रयत्न भी समय-समय पर हुए। अरुणाचल प्रदेश की पहली हिन्दी पत्रिका 'सांगपो' थी। इसे १९७० ई. में डॉ. रमण शाण्डिल्य ने चक्रलिखित रूपसे प्रकाशित किया था। यह पत्रिका त्रैमासिक थी। इसके कुल नौ अंक प्रकाशित हुए। सभी अंक 'जनजातीय भाषा संस्कृति पर केन्द्रित' थे (अरुण नागरी, अंक २, अप्रैल-जून, १९९९, पृ. ३) यहीं से डॉ. भारती वर्मा ने 'प्रवाह' का संपादन किया। डॉ. अवधेश कुमार मिश्र ने 'दिशा' का संपादन किया। डॉ. रमण शाण्डिल्य ने 'पूर्व नागरी के संपादक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। इस पत्रिका के कुल चौदह अंक प्रकाशित हुए। श्री जयप्रकाश शुक्ल ने 'अरुणोदय भूमि' का संपादन किया। अरुणाचल विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से प्रकाशित 'अरुण प्रभा के दो अंक निकल चुके हैं। अब इस पत्रिका को विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नल के साथ मिला दिया गया है। इससे पूर्व रिसर्च जर्नल में हिन्दी अनुभाग भी रहता था। इस अनुभाग की शुरुआत हिन्दी विभाग की स्थापना के पश्चात हुई थी। विवेकानंद केन्द्र 'अरुण ज्योति' नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है।

१४ सितम्बर १९९० ई. में हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर चागलांग के इनाव गाँव में 'अरुणाचल प्रदेश समिति' की शुरुआत हुई। इसके केन्द्रीय कार्यालय के नाहरलगुन में स्थानान्तरित होने पर समिति का नाम 'अरुणाचल प्रदेश हिन्दी समिति, ईटानगर' कर दिया गया। इसके संस्थापक श्री जयप्रकाश शुक्ल हैं। वे समिति के सचिव भी हैं। उन्हीं की सक्रियता से इस राज्य के पहले हिन्दी समाचार पत्र के रूप में साप्ताहिक 'अरुण-आवाज' का प्रकाशन ४ अगस्त २००२ ई. से शुरु हुआ। इसके लिए उन्हें भारत सरकार से अगस्त २००३ के अवसर पर समिति ने अपनी प्रथम स्मारिका 'उपवन' का प्रकाशन किया और प्रयोग के तौर पर 'सुक्ति सुधा' नाम की लघु पुस्तिका को भी प्रकाशित किया। हिन्दी दिवस, १४ सितम्बर २००३ के अवसर पर समिति ने अपनी प्रथम वार्षिक पत्रिका 'अरुणोदय भूमि' का प्रकाशन किया। इसी वर्ष कई अरुणाचल प्रदेश हिन्दी समिति जिला शाखाओं का गठन हुआ। यह समिति निःशुल्क हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन भी

करती है। समिति ने हिन्दी दिवस २००३ के अवसर पर विगत वर्षों से प्रारम्भ दो पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी। अरुणोदय भूमि के प्रथम अंक में पृष्ठ आठ पर 'अरुणाचल की पहली हिन्दी प्रचार समिति के उपाध्यक्ष' के रूप में स्व. तादरताड महानुभाव का उल्लेख है। सम्प्रति, इस समिति का ब्यौरा भी शोध का विषय है। इसी तरह 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ईटानगर' और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की दोईमुख शाखा के क्रियाकलाप भी शोध के विषय हैं।

२२ अगस्त सन् १९९४ ई. में ईटानगर में 'अरुणाचल नागरी संस्थान' की स्थापना हुई। संस्था के संरक्षक सदस्यों में उस समय के प्रदेश के राज्यपाल माताप्रसाद, मुख्यमंत्री गेगाड अपाड, मंत्रियों में श्री रिनचिन खाण्ड खिमे और उपमंत्री लेची लेजी थे। ईटानगर गवर्नमेंट कॉलेज के हिन्दी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. धर्मराज सिंह इस संस्थान के अध्यक्ष थे। डॉ. रमण शाण्डित्य एवं संगठन सचिव थे। इस संस्थान का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश रख गया। इसका स्थान गवर्नमेंट कॉलेज, ईटानगर था।

इस संस्थान का उद्देश्य बहुमुखी था। उद्देश्यों में कुछ थे : हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि का प्रचार-प्रसार करना, क्षेत्रीय कबीलाई एवं जनजातीय भाषा, लिपि आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना, साहित्य का संग्रह, लेखन प्रकाशन करना, जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की रक्षा तथा संवर्द्धन करना, हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों एवं विद्वानों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना, शोध केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना-कराना, संस्था के प्रचार-प्रसार के लिए लेखन, प्रकाशन तथा मुद्रण की व्यवस्था करना इत्यादि।

संस्थान ने सम्मान-पर्व आयोजित किए। इसके अन्तर्गत हिन्दी दिवस के अवसर पर साहित्य/राजनीति/प्रशासन/समाज सेवा/ शिक्षा सेवा/ चिकित्सा/अभियांत्रिकी/ संस्कृति/ पत्रकारिता/पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसका पहला आयोजन १४ सितम्बर १९९५ ई. को हुआ था (अरुण नागरी, अंक ४, पृ. ३८)। इसी तरह संस्थान द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली/ कॉलेज (अरुणाचल विश्वविद्यालय, दोईमुख) द्वारा आयोजित दसवीं/बारहवीं/स्नातक कला की हिन्दी विषयक परीक्षा में राज्य स्तर/ विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वाधिक अंकों के साथ प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्ति हेतु सम्मान पत्र प्रदान किए गए। सी.बी.एस.ई. की वर्ष, १९९५ (मार्च) की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को यह सम्मान पत्र दिया गया।

१४ सितम्बर १९९६ हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर संस्थान द्वारा हिन्दी सेवियों का सम्मान किया गया। इनमें तत्कालीन राज्यपाल माता प्रसाद जी को विशिष्ट हिन्दी सेवा के लिए 'हिन्दी गौरव' की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। आचार्य श्री राधा गोविन्द थॉडम (इम्फाल) और श्री गोकुल काकति बायन को भाषाई सम्प्रीति के लिए और डॉ. भूपेन्द्र नाथ राय चौधरी (तत्कालीन रीडर, हिन्दी विभाग), गुवाहाटी विश्वविद्यालय को हिन्दी-असमिया सेवा के लिए सम्मानित किया गया। शेष सम्मानित व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी थे। इनमें श्री केनतो एते को हिन्दी-गालो सेवा के लिए तथा अन्य को हिन्दी स्नेह, हिन्दी सेवा, समाज-सेवा, संस्कृति-भाषा, प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में सेवा के लिए सम्मानित किया गया। संस्थान ने १४

सितम्बर १९९७ को भी सम्मान-पर्व का आयोजन किया। इसमें ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जो उस वर्ष बोर्ड की कक्षा दस तथा बारह की परीक्षाओं में राज्य स्तर पर हिन्दी में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए थे। जो अरुणाचल विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा पास तथा ऑनर्स कोर्स में उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ऐसे नागरिकों को भी सम्मानित किया गया जिनकी हिन्दी के प्रति विशेष रुचि थी और जो समाज सेवा के लिए समर्पित थे।

लेकिन माता प्रसाद जी के राज्यपाल का कार्यकला समाप्त कर और डॉ. धर्मराज सिंह के सेवानिवृत्त होकर यहाँ से चले जाने के पश्चात् यह संस्थान शक्तिहीन होकर निष्क्रिय हो गया। लेकिन इसके महत्वपूर्ण अवदान को भुलाया नहीं जा सकता। अनेक हिंदी प्रेमी इस संस्थान से जुड़े। संस्थान की मुख्य पत्रिका 'अरुण नागरी' ने अरुणाचल में रह रहे अनेक लोगो को लिखने के लिए प्रेरित किया - विशेषकर यहाँ के बारे में।

'अरुण नागरी' का प्रवेशांक (जनवरी-मार्च) १९९५ ई. में प्रकाशित हुआ। १३ वाँ अंक संयुक्तान्क रूप में प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका के प्रधान संपादक डॉ. धर्मराज सिंह थे। संपादक का दायित्व डॉ. रमण शाण्डिल्य पर था। दोनों का काम अवैतनिक था। पत्रिका के शुभकामना संदेश में डॉ. नामवर सिंह ने लिखा था - "अरुणाचल प्रदेश में हिन्दी में 'अरुण नागरी' नामक पत्रिका का प्रकाशन ऐतिहासिक घटना है।" (अरुण नागरी, प्रवेशांक, जनवरी-मार्च १९९५, पृ. सं. ७) कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पत्रिका नहीं, एक आंदोलन था।

अरुणाचल में रहकर इस प्रदेश पर लिखने वालों में डॉ. रमण शाण्डिल्य, डॉ. बी.बी. पाण्डेय, डॉ. धर्मराज सिंह और डॉ. माता प्रसाद मुख्य हैं। डॉ. मधुसूदन शर्मा, डॉ. सत्यदेव झा, श्री नंदन राम जैसे लेखकों ने भी अरुणाचल को अपने लेखन का विषय बनाया है या यहाँ रहकर लिखा है। मेरी जानकारी में डा. रमण शाण्डिल्य एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सन् १९६८-६९ से ही अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और समाज पर दर्जनों हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में लिखकर हिन्दी पाठकों को इस प्रदेश से परिचित कराते रहे। उन्होंने हिन्दी के हित, राष्ट्रीय हित एवं यहाँ की भाषाओं पर निरन्तर लिखा। उन्होंने अरुण नागरी के १३ वें - १४ वें अंक जनवरी-जून, ९८ में संपादकीय द्वारा अरुणाचल विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोलने के लिए बड़े ही सशक्त स्वर में आग्रह किया था। पुस्तकाकार रूप में लिखने वालों में डा. बी. बी. पाण्डेय की 'अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के त्योहार' १९७८ ई. उल्लेखनीय है। इससे सुबनसिरी जिले के पर्व-त्योहार के बारे में जानकारी मिलती है। डा. धर्मराज सिंह ने विशेष रूप से तत्पर होकर इस प्रदेश से संबंधित कई पुस्तकें लिखीं। इनमें है : अरुणाचल की जनजातियाँ और ऐतिहासिक स्थान १९९४ ई. अरुणाचल के त्योहार १९९५ ई. अरुणाचल की आदि जनजाति का समाज भाषिकी अध्ययन १९९५ ई. पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित शोधग्रंथ और 'अरुणाचल की गालो जनजाति ओर उसकी सामाजिक व्यवस्था' २००१ ई.। अंतिम पुस्तक 'अरुणाचल नागरी संस्थान' से प्रकाशित है। श्री माता प्रसाद की पुस्तक 'मनोरम भूमि : अरुणाचल प्रदेश' प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, १९९५ ई. अरुणाचल विषयक पुस्तकों में ऐसी पुस्तक है जिसमें पहली बार प्रदेश के विषय में इतनी अधिक जानकारी हिंदी में दी गई है। वे यहाँ के दो बार राज्यपाल रहे। "पुस्तक को दो भागों में बाँटा

गया है । प्रथम भाग में अरुणाचल प्रदेश की सामान्य जानकारी है, जिसमें प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उद्योग-धन्धे, यातायात के साधन, पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक ढाँचा, शिक्षा की स्थिति, यहाँ आने के लिए परमिट व्यवस्था, संपर्क भाषा, यहाँ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया गया है । द्वितीय भाग में अरुणाचल की जनजातियों के धर्म, संस्कृति, विवाह-पद्धति, मनोरंजन, परंपरागत पंचायतें, अपराध और दंड लोगों की शारीरिक बनावट, आनुवंशिक विशेषताएँ, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियाँ, उनके पर्व एवं त्योहारों तथा नृत्य और गीतों का वर्णन दिया गया है ।' पृ. ९. उपसंहार के रूप में माता प्रसाद जी ने जो अरुणाचल के बारे में जाना उसका वर्णन है । कुल मिलाकर यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तक का सर्वथा अभाव था । अरुणाचल प्रदेश पर थोड़ी बहुत जानकारी देनेवाली प्रारंभिक पुस्तकों में मेघालय के पूर्व राज्यपाल मधुकर दिग्गे की पुस्तक 'पूर्वांचल की ओर' भी उल्लेखनीय है । इसी तरह मिशमी तथा खामती जनजाति पर भी पुस्तकें हिन्दी में लिखी गई हैं । मिशिंग जनजाति पर इसी नाम से डा. भिक्षु कौंडिल्य की पुस्तक है ।

वस्तुतः चीनी आक्रमण के समय में पहली बार हिन्दी भाषा में कई पत्रिकाओं में अरुणाचल विषयक लेखन की शुरुआत हुई । नागार्जुन, नेपाली, दिनकर, शिमंगल सिंह 'सुमन' जैसे कवियों ने कविताएँ लिखी । डॉ. रमण शाण्डिल्य के अनुसार "जन" मासिक में डॉ. राममनोहर लोहिया की नेफा की मिट्टी छपी । डॉ. धर्मवीर भारती की रिपोर्टिंग धर्मयुग में पत्रकार बनवारी के रिपोर्टाज दिनमान में छपे..... हिन्दी में अरुणाचल पर प्रारम्भिक पुस्तकों में नेफा की एक शाम, एक गाथा नेफा में, भारत का सीमान्त अग्निहोत्री, कृष्णचन्द्र डॉ. मनहंस कुमार 'नील' और देवकान्त पांगिंग ने तुलनात्मक लोक साहित्य पर अपने शोधग्रंथ प्रस्तुत किये हैं । राजीव गाँधी विश्वविद्यालय से दो स्थानीय शोध-छात्राओं को इस प्रदेश के लोक साहित्य पर काम करने पर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो चुकी है । एक स्थानीय शोध छात्र अपना शोध-प्रबन्ध जमा कर चुके हैं ।

हिन्दी भाषा और साहित्य से संबंधित थे सभी प्रयास ऐतिहासिक हैं, इसीलिए उल्लेखनीय भी हैं ।

यहाँ की भाषाओं को नागरी लिपि में लिखने के लिए प्रयास भी किए गए हैं । इस दिशा में प्रयत्न के स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा माता प्रसाद जी का । उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यपालों और अरुणाचल के मंत्रियों, विधायकों, पत्रकारों एवं संस्थाओं को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 'वे अरुणाचल में हर बोली-भाषा को रोमन लिपि के साथ ही देवनागरी लिपि में लिखने हेतु विचार करें ।' माता प्रसाद जी ने सन १९९४-९५ गणतन्त्र दिवस और अरुणाचल दिवस, अरुणाचल विश्वविद्यालय के आधारशिला दिवस और ७ मार्च १९९४ को विधानसभा अधिभाषण के अवसर पर हिन्दी में ही अभिभाषण दिया । राजधानी परिसर और प्रदेश के कई स्थलों पर उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क के क्रम में वे अधिकतर हिन्दी में ही बात करते थे । इस प्रकार उन्होंने हिन्दी प्रेमियों के उत्साह को बढ़ाया ।

लिप्यंतरण और अनुवाद का कुछ काम आनुषंगिक रूप में विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नल और हिन्दी विभाग के द्वारा कराये गए शोध, शोध और आलोचना की पत्रिका के माध्यम से भी हुआ

है। माता प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में इस संबंध में जो जानकारी दी है वह भी उद्धृत किये जाने योग्य है : "विवेकानंद केन्द्र, मद्रास ने अरुणाचल की आपातानी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का किया है। इस संबंध में एक पुस्तक 'स्वामी विवेकानंद : घटनाओं के झरोखे से' प्रकाशित हुई है।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर नेफा प्रशासन शिलांग, द्वारा प्रकाशित 'श्री तालम रूकब' की आदी भाषा का 'गकलिङ' अनुसंधान विभाग नेफा की 'मिरिकिताप' मीरी भाषा की, श्री सचिन राय की सिम्फोरू दाश्रिलिक-मान् आत्रि' सिंहफो भाषा की, 'आपातानि खेकानान पौढा-पौढा आन्ये' आपातानी भाषा की पुस्तकें देवनागरी लिपि में देखने को मिलीं। भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की ओर से प्रकाशित श्री आरडू ते जे सड थिड और के एस. गुरु बसबे गौड़ की 'नक्ते आराड्झाप' नोक्टे भाषा की, हागे दोलेतातुम की 'तनुअगुड केनयोको' आपातानी भाषा की, श्री जतनपुल की 'अपुयमे बने मिशिम' मिशमी भाषा की पुस्तकें देवनागरी लिपि में राज्य अनुसंधान निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश की लाइब्रेरी में देखने को मिली, मनोरम भूमि : अरुणाचल, पृ. १०४

उल्लेखनीय है कि महायानी बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी मोन्पा ओर मेंवागण भूटिया लिपि का व्यवहार करते हैं। हीनयानी बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी खामती गण थाई लिपि का व्यवहार करते हैं। कुछ अन्य जनजातियाँ परिवर्धित रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हैं। अधिकांश जनजातीय भाषाओं की विशेषताओं को नागरी लिपि में अधिक सुगमतापूर्वक लिपिबद्ध किया जा सकता है, उदाहरणार्थ ड, झ, और त ध्वनि। भाषाई संरचना या रूपरचनागत विशेषताओं की दृष्टि से भी यहाँ की भाषाएँ भारतीय भाषाओं के अधिक समीप हैं, यथा, कर्त्ता-कर्म क्रिया का क्रम और परसर्गों का प्रयोग। शब्द-भंडार की दृष्टि से भी निकटता को दर्शाया जा सकता है।

हिन्दी के भविष्य को लेकर आश्वस्त होनक का एक कारण यह भी है कि इस प्रान्त में हिन्दी विरोधी भावनाएँ नहीं दिखती, जैसा कि देश के कई स्थलों पर छिटपुट रूप से महसूस होता है। राजनेताओं का जनसंपर्क भी हिन्दी माध्यम में होता है। चुनाव-प्रचार या जनसभाओं में हिन्दी का प्रयोग दिख पड़ता है। घर, दफ्तर, राजधानी और मुख्यालयों में नेतागण भाषायी संपर्क के लिए हिन्दी को अपना रहे हैं। प्रदेश में मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन अंग्रेजी है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग अधिक रूप में होता है। विधानसभा में भी मौखिक रूप में अधिकांशतः हिन्दी में ही बातें रखी जाती हैं। इसी तरह घर-परिवार में भी हिन्दी का प्रयोग दिखना सामान्य है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भूमिका निभाने वाले दूसरे तत्वों की चर्चा भी अपेक्षित है। दूरदर्शन और रेडियो के स्थानीय केन्द्र अपने प्रसारणों में हिन्दी को नियमित रूप से स्थान देते हैं। हिन्दी सिनेमा और सिनेमा के संवाद एवं गीतों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सैनिकों, सुरक्षा बलों, अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमजीवियों, व्यापारियों, अध्यापकों, अभियंताओं, प्रदेश के बाहर से पढ़कर आए स्थानीय लोगों, अनेकानेक टी.वी. चैनलों के प्रसारण ये सभी हिन्दी को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योग दे रहे हैं। भले ही यह परोक्ष रूप से ही। इन वर्गों में प्रदेश के बाहर के लोग भी शामिल हैं, और स्थानीय लोग भी। ये सभी हिन्दी प्रेमी वर्ग हैं।

यातायात के साधनों का विकास, आवागमन की बढ़ती सुविधा और आर्थिक विकास की त्वरित गति ने गतिशीलता को बढ़ाया है। लोगों का दूसरे क्षेत्रों से संपर्क बड़ी तीव्र गति से बढ़ा

है। शिक्षा के लिए तो लोग पहले से ही प्रदेश के बाहर जाते रहे हैं। स्कूलों-कॉलेजों के छात्रगण बाहर घूमने के लिए जाते रहे हैं। इन सबसे देश की सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा से परिचित होने और उसमें व्यवहार करने का अवसर मिलता है। घर-घर में, बात-बात में हिन्दी का प्रयोग निश्चय ही उपरोक्त कारकों के प्रभाव से बढ़ा है। स्थानीय लोग विचार-विनिमय के लिए मातृभाषा के बाद सबसे ज्यादा हिन्दी को अपनाते हैं। कारण कि, अन्य स्थानीय भाषाओं में अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए बोधगम्यता के तत्व नहीं के बराबर या अल्प मात्रा में हैं। यहाँ छब्बीस मुख्य या बड़ी जनजातियाँ हैं और एक सौ दस छोटी या उपजनजातियाँ। यहाँ यह उक्ति प्रचलित है कि जितनी जनजातियाँ उतनी भाषाएँ। यहाँ की अधिकांश जनजातियाँ अपनी भाषायी पहचान को अवश्य बताती हैं। आदि जनजाति का व्यक्ति मोन्या जनजाति की भाषा को नहीं समझ पाता और नही नोक्ते या खामती भाषा को ही। इसी तरह मोन्या लोग भी खामती लोगों की भाषा को नहीं समझ पाते। यों भी, चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाओं की अन्य विशेषताओं के अलावा जो दो विशेषताएँ बताई जाती हैं, उनमें एक तो, इन भाषाओं में आपस में बोधगम्यता के तत्व बहुत ही कम मात्रा में या लगभग न के बराबर है। दूसरे जितनी अधिक भाषाएँ उपभाषाएँ, बोलियाँ, उपबोलियाँ इस परिवार में पायी जाती हैं उतनी अन्य भाषा-परिवारों में नहीं। अरुणाचली भाषाएँ इसी परिवार की तिब्बती-बर्मी और थाई उपवर्ग (?) से संबंधित हैं। ठीक वैसे ही जैसे मणिपुरी।

देश के दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ भी हिंग्रेजी का प्रयोग होता है। हिन्दी की अरुणाचली शैली भी विकसनशील दशा में है। अरुणाचली शैली शिलांग में बोली जानेवाली हिन्दी की शैली से मिलती-जुलती है। इस शैली को विकसित करने में स्थानीय लोगों के उच्चारण-अवयव संबंधी प्रयत्न, वाक्य-विन्यास और कामचलाऊपन का विशेष योग है। यथा चकास के रूप में ह्रस्व इ का दीर्घ ई के रूप में - उच्चारण, स्त्रीलिंग का पुलिंगवत् प्रयोग, 'होगा', 'सकेगा' जैसे प्रयोगों की बहुलता आदि। हिन्दी अपनी सरलता के कारण मात्र पचास वर्षों की अल्पावधि में ही लोगों के हृदय में अपना स्थान बना सकी है। इसलिए यहाँ हिन्दी अपना एक अलग रूप धारण कर ले तो अप्रीतिकर नहीं लगना चाहिए।

संदर्भ :

१. चित्र मंहंत : राष्ट्रभाषा का इतिहास, असम हिन्दी प्रकाशन, गुवाहाटी, १९९४ ई., पृ. ७९
२. डा. रमण शाण्डिलय : राष्ट्रभाषा संदेश : ३० सितम्बर, २००६ ई. पृ. ३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पाक्षिक मुख पत्र।
३. अरुण नागरी : सं. डा. रमण शाण्डिल्य ईटानगर (इसके अंकों को उपलब्ध कराने के लिए डॉ. रमण शाण्डिल्य को साधुवाद देता हूँ)।
४. माता प्रसाद : मनोरम भूमि अरुणाचल, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, १९९५।